# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 2901/2024**

शिव सिंह

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
4. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 17.09.2024
**आदेश की दिनांक** : 19.09.2024

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री विजय पाठक, अभिभाषक

**समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी अतिरिक्त आबकारी आयुक्त के पद पर जोन–भरतपुर राजस्थान में कार्यरत था। अपीलार्थी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30.06.2024 से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया। (अनुलग्नक–1) सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की तिथि प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई निर्धारित की गई है, लेकिन तथ्यात्मक रूप से सरकारी कर्मचारियों को तत्काल पूर्ववर्ती एक पूर्ण वर्ष की सेवा पूरी करने पर वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि प्रदान की जाती है। अपीलार्थी दिनांक 30.06.2024 को सेवानिवृत्त हो चुका है, लेकिन सेवा का एक पूर्ण वर्ष पूरा करने पर वह वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि का हकदार है जो दिनांक 1.7.2024 को देय है और इस कारण से वह बढ़े हुए वेतन पर पेंशन लाभ पाने का हकदार है। (अनुलग्नक–2) यही विवाद मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष पी. अय्यम्परूमल बनाम रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण एवं अन्य (डब्ल्यू.पी. संख्या 15732/2017) के मामले में उठा था, जिसमें तमिलनाडु राज्य के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए,

उसके सचिव, सरकार, वित्त विभाग एवं अन्य बनाम एम. बालासुब्रमण्यम द्वारा सीडीजे 2012 में रिपोर्ट की गई। एमएचसी 6525 रिट याचिका को दिनांक 15.9.2017 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि अपीलार्थी को सेवा का एक पूरा वर्ष पूरा करने के रूप में माना जाना चाहिए, हालांकि वेतन वृद्धि की तारीख उसकी सेवानिवृत्ति की अगली तारीख को पड़ती है। तदनुसार उसे दिनांक 1.7.2012 से 30.6.2013 की अवधि के लिए एक काल्पनिक वेतन वृद्धि देने का निर्देश दिया गया था क्योंकि उसने सेवा का एक पूरा वर्ष पूरा कर लिया है, हालांकि उसकी वेतन वृद्धि दिनांक 1.7.2013 को हुई। पी. अय्यम्परुमल (सुप्रा) के मामले में दिनांक 15.9.2017 के आदेश के विरुद्ध दायर एसएलपी को सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 23.7.2018 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया है। इसी प्रकार इसके विरुद्ध दायर समीक्षा याचिका (सी) संख्या 1731/2019 को भी सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 8.8.2019 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया है। अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी विभाग को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन) केपीटीसीएल और अन्य बनाम सीपी मुंडिनामणि और अन्य, सिविल अपील संख्या 2471/2023 (एसएलपी (सी) संख्या 6185ध्2020) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक ही विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसमें विभिन्न मामलों में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए यह माना गया था कि अपीलकर्ता को सेवा का एक पूर्ण वर्ष पूरा करने के रूप में माना जाना चाहिए, हालांकि वेतन वृद्धि की तारीख उनकी सेवानिवृत्ति की अगली तारीख को पड़ती है। तदनुसार उन्हें पेंशन लाभ के उद्देश्य से पहली जुलाई से 30 जून तक की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि देने का निर्देश दिया गया था क्योंकि उन्होंने सेवा का एक पूर्ण वर्ष पूरा कर लिया है, हालांकि उनकी वेतन वृद्धि पहली जुलाई को हुई थी।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से तुरंत पहले दिनांक 30.06.2024 को पूर्ण एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि प्रदान किया जावे और तदनुसार अपीलार्थी के वेतन और पेंशन लाभ को संशोधित किया जाकर समस्त परिणामी लाभ 12 प्रतिशत मय ब्याज सहित दिलाये जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा

नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**